प्रेषक,

रविकान्त
चतुर्थ अपर जिला जज/
विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम
बदायूँ

सेवा में,

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय
बदायूँ।

विषय– अपनी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में गृह जिले का नाम परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण करते समय सेवा अभिलेखों में मेरा गृह जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अंकित है।

मैं तहसील सम्भल का निवासी हूँ जो पहले मुरादाबाद जिला की तहसील थी तथा वर्तमान में शासन द्वारा सम्भल नाम का नया जिला सृजित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जिला सम्भल में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा गृह जनपद अब सम्भल हो गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे सेवा अभिलेखो में अंकित गृह जिला मुरादाबाद के स्थान पर जिला सम्भल अंकित कराने की कृपा करें। श्रीमान जी उक्त आवेदन ई–सर्विस के माध्यम से भी किया जा रहा है।

दिनांक– 21.11.2020

भवदीय
21.11.2020
(रविकान्त)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,आ०व०अधि० बदायूँ।
आई०डी०–यू०पी० ६०६२

संलग्नक–

१. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
२. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्भल को जिला घोषित किये जाने की अधिसूचना।
३. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला सम्भल में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की अधिसूचना।
४. शपथ पत्र।
५. पैतृक निवास का अद्यतन गृहकर निर्धारण प्रपत्र ।

Office of the District Judge
BUDAUN
No 2863/II Budaun Dated 21-11-2020
FORWARDED

DISTRICT JUDGE
BUDAUN

Enclosure-1

उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

जिला सम्भल
तहसील सम्भल
आवेदन क्र० 202050020038640
प्रमाणपत्र क्र० 754202020200

जारी दिनांक: 23/09/2020

सम्बन्धित लेखपाल की जांच आख्या दिनांक 23/09/2020 के आधार पर एतद् द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि	रवि कान्त
पुत्र/पुत्री	विनोद कुमार रस्तौगी
माता का नाम	स्व. विमला रस्तौगी
मकान नम्बर	597
मोहल्ला	कोट पूर्वी
ग्राम	
थाना	थाना सम्भल
तहसील	सम्भल
जिला	सम्भल

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर 597 ग्राम् मोहल्ला कोट पूर्वी तहसील सम्भल ,जनपद सम्भल उत्तर प्रदेश है।

2.उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप - १ में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

DEEPENDRA YADAVA

Digitally Signed by DEEPENDRA YADAVA O=REVENURE DEPARTMENT, OU=REVENURE DEPARTMENT, C=IN, CN=DEEPENDRA YADAVA,S=Uttar pradesh

सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी
डिजिटल हस्ताक्षरित
सम्भल,सम्भल
दिनॉक: 23/09/2020

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवम् आवेदक द्वारा स्वयं की लॉग इन आइडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।

Enclosure-2

क्र० सं०-242

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 सितम्बर, 2011

आश्विन 6, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-2676/1-5-2011-154/2011-रा०-5

लखनऊ, 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प०आ०-517

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू०पी० अधिनियम संख्या-3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्व सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भीम नगर नामक एक नया जिला सृजित करते हैं, जिसमें जिला मुरादाबाद की वर्तमान तहसील सम्भल और चन्दौसी तथा जिला बदायूं की तहसील गुन्नौर के समस्त क्षेत्र समाविष्ट होंगे और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला मुरादाबाद एवं बदायूं की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं जिससे कि नवसृजित जिला भीम नगर में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर शेष वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

नवसृजित जिला भीम नगर का मुख्यालय पृथक से अधिसूचित किया जायेगा।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

के० के० सिन्हा,

प्रमुख सचिव।

Enclosure-3

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-08/2017/1141/सात-न्याय-2-2017-134जी/2017
लखनऊ: दिनांक सितम्बर 05,2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बंगाल,आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1887) की धारा 4,13 और 14 की उपधारा (1) और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम,1887(अधिनियम संख्या 09 सन् 1887) की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से जिला संभल स्थित चंदौसी के लिए सिविल जज (सीनीयर डिवीजन) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जिला जज के न्यायालय, सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सृजित करते हैं, ऐसे न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं और बैठने के स्थान नियत करते हैं और समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या ए-1104/सात-710/3 दिनांक 12/4/1956 की संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

संशोधन

1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	न्यायालय	अधिकारिता की सीमाएं सृजित करने वाले राजस्व क्षेत्र	बैठने का स्थान	संयुक्त कार्यालय	जिला न्यायाधीश, संभल
1	2	3	4	5	6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

(क) क्रम संख्या 31 की प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित नई प्रविष्टि, स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

31-क	जिला न्यायाधीश	जिला संभल के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र।	चन्दौसी	सत्र न्यायाधीश	जिला न्यायाधीश संभल,

(ख)क्रम संख्या 75 की प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित नई प्रविष्टि, स्तम्भवार बढा दी जायेगी, अर्थात :-

75-क	सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन)	जिला संभल स्थित तहसील संभल और गुन्नौर का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र	चन्दौसी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन) संभल

(ग)सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन) चन्दौसी के विद्यमान न्यायालय हेतु क्रम संख्या-127-ख की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेगी,अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
127-ख	सिविल न्यायाधीश (सीनीयर डिवीजन)	जिला संभल स्थित तहसील चन्दौसी का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र	चन्दौसी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	जिला संभल स्थित सिविल न्यायाधीश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					(सीनीयर डिवीजन) चन्दौसी

(घ) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) संभल के विद्यमान न्यायालय हेतु क्रम संख्या 225 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी,अर्थात :-

1	2	3	4	5	6
225	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	टाउन और तहसील संभल के सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र	सम्भल	न्यायिक मजिस्ट्रेट	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) संभल

(ङ) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) संभल के नवसृजित न्यायालय हेतु क्रम संख्या 225 की प्रविष्टि के पश्चात् नई प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6
225 क	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	टाउन और तहसील संभल के नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले राजस्व क्षेत्र को छोडकर तहसील संभल के	चन्दौसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) संभल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र			

(च) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) चन्दौसी के विद्यमान न्यायालय हेतु क्रम संख्या 226 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :-

1	2	3	4	5	6
226	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	जिला सम्भल स्थित तहसील – चन्दौसी के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र ।	चन्दौसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जिला सम्भल स्थित सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) चन्दौसी

(छ) क्रम संख्या-162-ख की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित नई प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2	3	4	5	6
162-ख	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)	जिला संभल स्थित तहसील –गुन्नौर के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र।	गुन्नौर	न्यायिक मजिस्ट्रेट	जिला संभल स्थित सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) गुन्नौर

आज्ञा से,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव ।

संख्या– 08/2017/1141/(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 05 सितम्बर,2017 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 8/2017/1141(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

2- जनपद न्यायाधीश, सम्भल ।

3- जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद/बदायूं ।

4- जिलाधिकारी, सम्भल/मुरादाबाद/बदायूं ।

5- विधायी अनुभाग-1

6- भाषा अनुभाग-5 / नियुक्ति अनुभाग-4

7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी /गार्ड बुक /अधिसूचना को कम्प्यूटर पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-08/ 2017/1141/सात-न्याय-2-2017-134जी/2017

लखनऊः दिनांक सितम्बर 05, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम,1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श करने के पश्चात नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 व 5 में क्रमश: विनिर्दिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के न्यायालय अपने अपने न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थापित करते है:-

अनुसूची

न्यायालय की संख्या और प्रकार

क्रम स0			जिला	बैठने का स्थान
	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय	प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय		
1	2	3	4	5
1	एक	एक	सम्भल	चन्दौसी

आज्ञा से,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 08/2017(1)सात-न्याय-2-2017

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 05 सितम्बर,2017 की तिथि मे प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या– 08/2017(2)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
2- जनपद न्यायाधीश, सम्भल ।
3- जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद/बदायूं ।
4- जिलाधिकारी, सम्भल/मुरादाबाद/बदायूं ।
5- विधायी अनुभाग-1
6- भाषा अनुभाग-5 / नियुक्ति अनुभाग-4
7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी /गार्ड बुक /अधिसूचना को कम्प्यूटर पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-08/ 2017/1141/सात-न्याय-2-2017-134जी/2017
लखनऊ: दिनांक सितम्बर 05, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प्रान्तीय दिवाला अधिनियम,1920 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1920) की धारा 5-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से राज्यपाल चन्दौसी स्थित जिला न्यायाधीश, सम्भल को, चन्दौसी स्थित जिला न्यायाधीश, सम्भल के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धारा में उल्लिखित समस्त कार्य करने के लिए सशक्त करते हैं।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव ।

संख्या- 08/2017(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।.

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 05 सितम्बर,2017 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 08/2017(1)/सात-न्याय-2-2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

2- जनपद न्यायाधीश, सम्भल ।

3- जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद/बदायूं ।

4- जिलाधिकारी, सम्भल/मुरादाबाद/बदायूं ।

5- विधायी अनुभाग-1

6- भाषा अनुभाग-5 / नियुक्ति अनुभाग-4

7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी /गार्ड बुक /अधिसूचना को कम्प्यूटर पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

(रणधीर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भारतीय गैर न्यायिक Enclosure-4

भारत

TEN RUPEES

Serial No. 14922
Page No. 1447
Date 2020

Rs.10

NOTARIAL

NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

8 OCT 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AE 956729

शपथ–पत्र

समक्ष,

माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

रविकान्त पुत्र श्री विनोद कुमार रस्तोगी, आयु ५० वर्ष
स्थाई निवासी– मो० कोट पूर्वी, थाना सम्भल, तहसील सम्भल, जिला सम्भल
हाल निवासी– टाइप IV/६, जिला जज कम्पाउण्ड, जिला बदायूँ

मैं, रविकान्त पुत्र श्री विनोद कुमार रस्तोगी निवासी उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ–

१– यह कि शपथकर्ता मोहल्ला कोट पूर्वी थाना सम्भल, तहसील सम्भल, जिला सम्भल (उ०प्र०) का स्थाई निवासी है।

२– यह कि शपथकर्ता जन्म से उ०प्र० न्यायिक सेवा में चयन होने तक निरन्तर उपरोक्त पते पर निवास करता रहा है।

३– यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त स्थायी निवास स्थान तहसील सम्भल नियुक्ति के समय जनपद मुरादाबाद था, किन्तु दिनांक २८–०९–२०११ को को जनपद सम्भल का सृजन होने पर जनपद सम्भल में सम्मिलित हो गया है।

४– यह कि शपथकर्ता का पैतृक आवास तहसील सम्भल जिला सम्भल में स्थित है, जिसकी देखरेख के लिए शपथकर्ता निरन्तर तहसील सम्भल जिला सम्भल अपने निवास स्थान पर आता जाता है।

Deponent Sig./L.T.I./R.T.I.

(रविकान्त)
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं, शपथकर्ता रविकान्त पुत्र श्री विनोद कुमार रस्तोगी सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की मद सं० १ ता ४ के कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी सहायता करे।

तस्दीक किया। आज दिनांक ०६–११–२०२० अहाता स्थान कचहरी जिला बदायूँ।

Rajeev Kumar Gupta
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
BUDAUN (U.P.) INDIA
Valid Upto 15-09-2022

Sworn before me

06 NOV 2020

Deponent Sig./L.T.I./R.T.I.

(रविकान्त)
शपथकर्ता

Enclosure-5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AE 822831

नकल कर निर्धारण रजि0 गृह कर नं0 761/843

स्थित मो0 कोट पूर्वी वर्ष 2017-2018 To 2019-2020 तक

प्रार्थना पत्र श्री रविकान्त रस्तौगी पुत्र श्री विनोद कुमार रस्तौगी

निवासी मो0 कोट पूर्वी सम्भल, दिनांक 05/10/2020

पर जारी की गई।

नगर पालिका परिषद सम्भल

जनपद सम्भल

NAGAR PALIKA PARISHAD SAMBHAL

FORM NO. 1

Assessment List for texes on the Annual Value of Buildings and Lands. Icluding Consolidated for the period 2017-2018 To 2019-2020

Name of Street of Mohalla in Which the property is situated or buildingt	Designation of preposer	Designation of building	Name and address of the owner (and agent it any)	Name of occupier and (When there are more occupiers then one) rent paid by each.	Annual Value	Amount of tex. assessed	Result of sppeal it any		Remarks
							Annual Value	Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
कोट पूर्वी	761/843	675 वर्ग फुट कच्चा पक्का	श्री विनोद कुमार रस्तौगी पु० श्री बांके लाल	—	1944/-	156/-	—	—	—

6-10-2020
प्रतिलिपिकर्ता.........
[illegible]कर्ता.........

०७-10-2020
कर अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सम्भल